न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 117/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
सीताराम पुत्र स्व0 गंगाराम पंवार जाति माली निवासी नयापुरा गली नंबर 2, लालसागर, मण्डोर जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–5–2017 जो उपखण्ड अधिकारी फास्ट ट्रेक, जोधपुर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या /2017 अनवान सीताराम बनाम राजस्थान सरकार मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री यू0एस0गहलोत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 23–7–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फास्ट ट्रेक जोधपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पालासनी तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 1277 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता एवं दादा के नाम खातेदारी मे दर्ज थी । प्रार्थी के दादा का देहांत के बाद प्रार्थी के पिता गंगाराम जी पंवार के नाम खातेदारी दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद हुई तथा कुछ समय तक राजस्व रेकर्ड मे सही नाम दर्ज रहा परंतु कालांतर मे राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर मगाराम दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थी के पिता के देहांत के बाद प्रार्थी व प्रार्थी के भाई का नाम फोतेदगी का नामांतरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम त्रुटिवशः सीमरथराम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम सीताराम है । राजस्व रेकर्ड मे हुई उक्त त्रुटि को दुरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के जरिये निवेदन किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–5–17 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया । जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा पारित किया गया है, वकील अपीलांट ने कथन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सुनवाई हेतु न्यायालय सहायक

अति॰ सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे दिनांक 12–5–2017 को स्थानांतरित हुआ था तथा उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली कों न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मे रखते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को बिना गौर व टिप्पणी किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साबित है कि अपीलांट व उसके पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे गलत दर्ज हुए है जिन्हे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि को दुरस्त करने का आदेश पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो पर गौर किये बिना ही धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट प्रार्थी का सही नाम सीताराम एवं उसके पिता का सही नाम गंगाराम है जिनके समर्थन मे अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थी के नाम का राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, वोटर लिस्ट, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जारी कार्ड, पैन कार्ड, नगर सुधार न्यास मे रूपये जमा कराने की रसीद तथा नगर सुधार न्यास जोधपुर से प्रार्थी के नाम जारी पट्टा की प्रति, विद्युत विभाग मे रूपये जमा कराये जाने की रसीद, प्रार्थी के भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रार्थी के भाई द्वारा अपने नाम प्राप्त गैस कनेक्शन, गैस की टंकी लेने की रसीद तथा अन्य खातेदारी की भूमि जिसमे प्रार्थी के पिता के देहांत के बाद प्रार्थी एवं उसके भाई के नाम नामांतरकरण दर्ज होने की प्रति आदि दस्तावेजात प्रस्तुत किये तथा कथन किया कि गंगाराम पंवार के दो पुत्र हुए जिनमे प्रार्थी का भाई त्रिलोकाराम एवं प्रार्थी स्वयं सीताराम है । प्रार्थी के पिता गंगाराम जी के देहांत होने पर ग्राम चैनपुरा स्थित उनके अन्य खातेदारी की भूमि का म्युटेशन संख्या 779 अपीलांट सीताराम के पक्ष मे स्वीकृत हुआ था जबकि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम पालासनी के खसरा नंबर 1277 की 11बीघा 06 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट सीताराम के सही नाम की जगह सीमस्थराम एवं उनके पिता का नाम गंगाराम के जगह मगाराम सहवन से दर्ज हो गया, जिसे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये ही दुरस्त करवाया जा सकता है, जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बिना दस्तावेजात की जांच के ही खारीज करने मे विधिक त्रुटि की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि प्रार्थी अपीलांट एवं उसके भाई अपने पिता स्व0 गंगारामजी के खातेदारी की भूमि पर स्व0 गंगाराम जी के देहांत के बाद से लेकर आज दिन तक अपने अपने हिस्से पर बतौर मालिक के काबिज है, जिसमे किसी को कोई उजर एतराज नही है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 1247 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम पालासनी मे प्रार्थी का हिस्से की भूमि मे प्रार्थी का नाम सीताराम की जगह सीमरथराम दर्ज हुआ है जिसे दुरस्त कर सीताराम करने तथा प्रार्थी के पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर मगाराम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो गया है जिसे दुरस्त कर मगाराम दर्ज करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन भूमि के संबंध मे राजस्व अभिलेखो की जांच करवाकर वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का खारीज किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया तथा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का भी अध्ययन किया । अपीलांट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फास्ट ट्रेक जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पालासनी तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 1277 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता एवं दादा के नाम खातेदारी मे दर्ज थी । प्रार्थी के दादा का देहांत के बाद प्रार्थी के पिता गंगाराम जी पंवार के नाम खातेदारी दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद हुई तथा कुछ समय तक राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के पिता का सही नाम गंगाराम दर्ज रहा परंतु कालांतर मे राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर मगाराम दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थी के पिता के देहांत के बाद प्रार्थी व प्रार्थी के भाई का नाम फोतेदगी का नामांतरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम त्रुटिवशः सीमरथराम दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम सीताराम है इसलिए राजस्व रेकर्ड मे हुई उक्त त्रुटि को दुरस्त करवाने हेतु धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये निवेदन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–5–17 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने वर्तमान अपील पेश की है ।

वर्तमान अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत एवं उपलब्ध दस्तावेजो पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रार्थना पत्र को केम्प मे ले जाकर निर्णित कर दिया । इस संबंध मे आधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के संबंध मे राजस्व रेकर्ड अनुसार वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की जो रिपोर्ट पटवारी हल्का

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पालासनी, निरीक्षक (भू.अ). बिसलपुर तथा सरपंच ग्राम पंचायत पालासनी के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 23–6–16 को तैयार कर प्रस्तुत की जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर है । उक्त रिपोर्ट अनुसार मिसल बंदोबस्त संवत 2011–2030 मे अपीलांट का नाम सीमरता पि0 गंगाराम जाति माली दर्ज था तथा जमाबंदी संवत 2021–24 तथा उसके बाद की लगातार जमाबंदीयां संवत 2058–2061 तक मे अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड मे सिमरथाराम पि0 मगाराम कौम माली दर्ज रहा है । उक्त स्थिति अनुसार अपीलांट का नाम जमाबंदी संवत 2021–24 से निरंतर बनी जमाबंदियो मे सीमरथाराम ही दर्ज हुआ है जिसमे किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि होना नही पाया जाता है परंतु अपीलांट इस अपील के जरिये अपना नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे दर्ज सीमरथाराम के स्थान पर सीताराम दर्ज करवाना चाहता है, जो धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही के जरिये संभव नही है ।

अपीलांट यदि अपना नाम सीमरथाराम के स्थान पर सीताराम तथा अपने पिता का नाम मगाराम के स्थान पर गंगाराम तथा अपने आप को मृत खातेदार गंगाराम का पुत्र होना तथा तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाना चाहता है तो इसके लिए अपीलांट को सक्षम सिविल न्यायालय से अपने सही नाम की उद्घोषणा का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसके जरिये ही अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकता है तथा उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने हेतु स्वंतत्र है।

राजस्व रेकर्ड अनुसार अपीलांट को इस अपील के जरिये किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–5–2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23–7–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर